

वित्त मंत्रालय

सरकार ने 4 अक्तूबर, 2017 से पेट्रोल और डीजल (ब्रांडेड और गैर-ब्रांडेड दोनों) पर बेसिक उत्पाद शुल्क 2 रूपये प्रति लीटर कम करने का फैसला किया

Posted On: 03 OCT 2017 8:11PM by PIB Delhi

सरकार ने 4 अक्तूरबर, 2017 से पेट्रोल और डीजल (ब्रांडेड और गैर-ब्रांडेड दोनों) पर बेसिक उत्पाद शुल्क 2 रूपये प्रति लीटर कम करने का फैसला किया है। सरकार ने यह फैसला कच्चे पेट्रोलियम तेल तथा पेट्रोल और डीजल के बढ़ते खंदरा बिक्री मूल्य को कम करने के लिए किया है।

उत्पाद शुलुक में इस कटौती से पूरे एक वर्ष में 26,000 करोड़ रूपये का और वर्तमान वित्त वर्ष के शेष हिस्से के दौरान करीब 13,000 करोड़ रूपये का घाटा होगा।

इससे पहले पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि के कारण दिल्ली में पेट्रोल और डीजल का खुदरा बिक्री मूल्य 02 अक्तूबर 2017 को बढ़कर क्रमश: 70.83 रूपये प्रति लीटर और 59.07 रूपये प्रति लीटर हो गया। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में यह वृद्धि थोक मूल्य सूचकांक मंहगाई में दिखाई देने लगी थी, जो अगस्त, 2017 में बढ़कर 3.24 प्रतिशत हो गई, जबिक जुलाई, 2017 में यह 1.88 प्रतिशत थी। इसके कारण सरकार को इस संबंध में तेजी से फैसला लेना पड़ा।

वीके/केपी/जीआरएस - 4021

(Release ID: 1504714) Visitor Counter: 10

f







in